मंगल पति और अन्य विरूद्ध हरि सिंह और अन्सहगल (.वी .डी, जे).

मेरे नजरिए से मामले को प्रशासनिक रूप से संभाला गया है, बजाय क्वासी न्यायिक रूप-से। इसलिए, मेरा समझौते का ये नज़रिया है कि इस सीमित सीमा तक यचिका स्वीकार्य होने के योग्य है जिसमें आयुक्त के आदेश को और केवल इसीलिए यहां रद्द किया जाएगा और उसे आग्रह करने की दिशा निर्देशित की जाती है कि वह अपील का निर्णय रिकॉर्ड पर मौजूद साहित्य पर आधारित गुणों के आधार पर कर दे। यह इस तरह से आदेश दिया गया है।

(13) अंतिम परिणाम यह है कि यह यचिका उक्त रूप से सीमित परिमाण में सफल होती है। पक्षों को उनके विद्वान परामर्शदाता के माध्यम से पंचायतों, पंजाब के संयुक्त निदेशक के सामने दिखने की दिशा दी जाती है, जो कि एक्ट के अंतर्गत आयुक्त की शक्तियों का अभ्यास कर रहे हैं। 28 अप्रैल, 1987 को।

कोई लागत नहीं।

एस.के.सी.

डीसहगल .वी ., जे के समक्ष।

मंगल पति और अन्य, - अपीलार्थी।

विरूद्ध

हरि सिंगह और अन्य, - प्रतिवादी।

निर्देश संख्या 57 की 1964 से दूसरी अपील।

17 अप्रैल, 1987

सिविल प्रक्रिया संहिता)1908 का पांचवां अनुच्छेद(–धारा 96(3), 104, 115, आदेश 23, नियम 3, आदेश 43 नियम 1-ए–पक्षों द्वारा समझौते में प्रवेश–न्यायालय जिस प्रकार से अधिनियमित दिया गया है, उसके अनुसार अधिनियमित करने के बाद अपील–क्या धारा 96(3) के तहत प्राधिकरणसूची में हो सकती है–प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई अपील–क्या द्वितीय अपील संभावित है।

प्रकट होता है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 96(3) के तहत कोई अपील न्यायालय द्वारा पार्टियों की सहमति से दिए गए फैसले से नहीं की जा सकती। इसलिए, स्पष्ट है कि वह अपील, जो समझौता को दर्ज करने और फैसला देने के लिए परीक्षणालय के आदेश से की गई थी और जिसे ज्ञानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निस्पेष किया गया था, वह स्पष्ट रूप से संहिता की धारा 96 के अधीन आने वाली अपील नहीं थी। आदेश 43 का नियम 1-ए यह प्रावधान करता है कि जब कोई सूट में दिया गया फैसला समझौता को दर्ज करने के बाद हो या समझौता को दर्ज करने से इनकार किया गया हो, तो अपील में अपीलकर्ता को यह विवाद करने का अधिकार होगा कि समझौता को दर्ज किया जाना चाहिए था या नहीं। यह विवाद नहीं है कि आदेश 43 कोड की धारा 104 के उपअनुच्छेद)1) के अनुसार आदेशों से अपील की प्रावधानिकता प्रदान करता है।

इसलिए, कोड की धारा 104 के अर्थ में ज्ञानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा 6 अगस्त, 1984 के आदेश से तय की गई अपील निश्चित रूप से कोड की धारा 104 के अंतर्गत एक अपील है। धारा 104 के उपअनुच्छेद)2) के अनुसार कोई अपील उस धारा के तहत की गई अपील से नहीं हो सकती। इस प्रकार, वर्तमान द्वितीय अपील स्पष्ट रूप से कोड की धारा 104(2) द्वारा वर्जित है।

पैरा)3)

श्री एचालिया .एस ., अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सोनीपत, की तारीख 6 अगस्त, 1984 के आदेश की द्वितीय अपील, जो कि श्री बीवोहरा .आर ., एच.एस.सी., सीनियर सबजज-, सोनीपत, की तारीख 21 सितंबर, 1982 को उलट रही थी, और मामले को पुनः प्रक्रिया के लिए परीक्षणालय में भेज रही थी। पक्षों को उनके ज्ञानी वकील के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि वे 16 अगस्त, 1984 को सोनीपत के ज्ञानी सीनियर सब जज के-न्यायालय में उपस्थित हों।

ऐचमेहतानी .एन ., वकील, अपीलकर्ताओं के लिए।

नेमो, प्रतिवादी के लिए ।

निर्णय

डीसहगल .वी ., जे।

(1) न्यायाधीश डीसहगल .वी . (1) यह द्वितीय अपील उन्हीं 6 अगस्त, 1984 के आदेश के खिलाफ है जो सोनीपत के ज्ञानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया था, जिसमें निर्धारित किया गया था कि परीक्षणालय द्वारा दर्ज किया गया समझौता कानूनी नहीं था और न ही यह नागरिक प्रक्रिया के आदेश 23 नियम 3 के अनुरूप था। इस परिणामस्वरूप, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अपील को स्वीकृति दी गई, सोनीपत के सीनियर उप न्यायिक जज द्वारा-27 सितंबर, 1982 को दिया गया निर्णय रद्द किया गया और मामला उसके मौलिक मान्यता पर पुनः प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया।

(2) मुकदमे के उत्पन्न होने वाले तथ्यों का विवरण देना आवश्यक नहीं है क्योंकि मेरी राय में वर्तमान अपील योग्य नहीं है। जिसे ध्यान में रखना चाहिए, वह यह है कि प्राथमिक अपीलकर्ता संख्या-1 और 2 द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे के दौरान उनके द्वारा 13 जून, 1980 को एक बहसमिति का आधार मानकर मामले को निपटाने के लिए एक अर्जी दी गई थी, जिसमें दिनांक 13 दिसंबर, 1979 को हुए एक समझौते के आधार पर। इस अर्जी पर, अधिकतम न्यायिक प्राधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दा तैयार-:किया–

"क्या मामला पक्षों के बीच समझौते के रूप में दावा किया गया है?"

दावा किये गए समझौते के अनुकूल और उसके खिलाफ सबूतों को दर्ज करने के बाद, ज्ञानी प्राथमिक न्यायालय ने उसे दर्ज करने और उसके अनुसार एक निर्णय पास करने के आदेश दिया। द्वितीय प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने उस उक्त आदेश और न्यायालय के उस निर्णय के खिलाफ एक अपील दायर की, जो कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा अपील स्वीकृत की गई है, जिसके माध्यम से अपीलीय न्यायाधिकरण की यह योग्यता पर विचार किया जा रहा है। उसमें यह निर्णय दिया गया है कि उक्त

समझौता नागरिक प्रक्रिया के आदेश 23 नियम 3 के अनुसार नहीं था और इस तरह से प्राथमिक न्यायालय ने गलती की थी जब वह उसे दर्ज करके उसके आधार पर एक निर्णय पास किया।

(3) आज जब यह अपील मेरे सामने सुनवाई के लिए आई, तो मैंने इसकी योग्यता पर अपनी संदेह व्यक्त की। इसलिए, मैंने इस बिंदु पर अपीलकर्ताओं के ज्ञानी वकील की सुनी। ध्यान देने योग्य है कि धारा 96(3) के अनुसार, पार्टियों की सहमति से न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय पर कोई अपील नहीं होती। इसलिए स्पष्ट है कि वह अपील, जो समझौता दर्ज करने और निर्णय पास करने के न्यायालय के आदेश से की गई थी और जिसे ज्ञानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने निपटाया था, वह संदर्भ में धारा 96 के अंदर आने वाली अपील नहीं थी।

नागरिक प्रक्रिया संहिता स)ंशोधन (1976 के लागू होने से पहले, नियम 43 के अनुक्रम)1) के अनुसार, धारा 23 के नियम 3 के तहत एक समझौता, सम्मति या संतोष को दर्ज करने या इनकार करने पर अपील संशोधित अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। इस संशोधन के द्वारा नियम)m) हटाया गया था और इसके बजाय नियम 43 में नियम 1-ए डाला गया था, जिसमें उन्हें अपील करने का अधिकार दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से विवाद किया जा सकता है कि समझौता दर्ज किया गया चाहिए था या नहीं। यह विवाद नहीं है कि नियम 43 धारा 104 के उपअनुच्छेद)1) के अनुसार आदेशों से अपील प्रदान करता है।

इस प्रकार, ज्ञानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1984 के उस अपील कोड की धारा 104 के अर्थ में एक अपील है। धारा 104 के उपअनुच्छेद)2) के अनुसार उस धारा के तहत एक अपील से कोई अपील नहीं हो सकती है। इस प्रकार, वर्तमान द्वितीय अपील स्पष्ट रूप से कोड की धारा 104(2) द्वारा निषिद्ध है।

(4) प्राथमिक अपीलकर्ताओं के ज्ञानी वकील ने फिर यह दावा किया कि इस अपील को धारा 115 के अंतर्गत संशोधन याचिका के रूप में देखा जाए और उसे इसी तरीके से निपटाया जाए, लेकिन उन्होंने मुझे संतुष्ट करने में नहीं किया कि ज्ञानी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिया गया आदेश किसी भी योग्यता में किसी त्रुटि का शिकार है। इसलिए, मुझे लगता है कि इस दावे में कोई तथ्याधारितता नहीं है। इस परिणामस्वरूप, यह अपील खारिज की जाती है। क्योंकि प्रतिवादी मेरे सामने प्रस्तुत नहीं हैं, इसलिए खर्चों का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

एस.के.सी.

डीसहगल .वी ., न्यायाधीश के समक्ष।

हरजिंदर कौर और अन्य,–अपीलकर्ता।

विरूद्ध

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, अमृतसर,–प्रतिवादी।

एफ संख्या .ओ.ए.362 ऑफ 1982

1 मई, 1987

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम)XXXIV ऑफ 1948)–धारा 2(a), 51-ए, 85-बी, नियम 31-ए रोजगार चोट–अर्थ–बस चालक की मौत में हृदय फेल होने के कारण जब वह बस में सो रहा था–ऐसी चोट–क्या रोजगार चोट है–निगम द्वारा लाभों की भुगतान रोका गया–ऐसी राशि पर ब्याज देने की जिम्मेदारी।

प्रत्यक्ष रूप से साबित होते ही, जब एक बीमित व्यक्ति की नौकरी के दौरान एक दुर्घटना होने का सबूत मिलता है, तो इसे माना जाता है, अगर कोई विपरीत प्रमाण न हो, कि वह दुर्घटना उस रोजगार से हुई है। शिक्षित न्यायाधीश गलत थे जब उन्होंने आपत्तियों के प्रमाण की मांग की कि, यद्यपि चोटी लगने वाले की मृत्यु उसके रोजगार के क्षेत्र में हुई थी, लेकिन यह दिखाने के लिए कि वह उस रोजगार से हुई थी। निश्चित रूप से यह प्रतिधारण विवादास्पद है, लेकिन रिकॉर्ड में उसे विपरीत प्रमाण के रूप में शीर्षकित करने लायक कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण नहीं है कि उसे उसकी मृत्यु की तारीख से पहले किसी भी हृदय रोग से पीड़ित था। यह स्पष्ट है कि यदि वह अपने निवास पर होते या अमृतसर शहर में होते और उसकी पत्नी और अन्य सहायक उसके पास होते, तो जब उसे हृदय अटैक आया होता, तो उसे चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती और शायद वह इस हमले से बच जाते। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसे चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि वह ड्यूटी पर अकेले बस में सो रहे थे। इसलिए उसकी मृत्यु उसके रोजगार से हुई थी। (पैरा 6)।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी हरियाणा